कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः– शिविरा/माध्य/शालादर्पण/60304/वो–2/2020/40 दिनांकः– 11/12/2020

1– समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, राजस्थान।
2– समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक।
3– समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)–माध्यमिक/प्रारंभिक।
4– समस्त प्रधानाचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान।
5– समस्त अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा।
6– समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन ब्लॉक सन्दर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा।
7– समस्त संस्था प्रधान/पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (पीईईओ), राजकीय विद्यालय।

विषयः– कार्मिकों को अन्य विद्यालय/कार्यालय में शिक्षा/कार्य व्यवस्थार्थ लगाये जाने हेतु मॉड्यूल के संबंध में।

प्रसंगः– इस कार्यालय का पूर्व पत्रांकः शिविरा/माध्य/ शालादर्पण/60304/वो–2 / 2020/27 दिनांकः 25.11.2020

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस कार्यालय के प्रासंगिक पूर्व पत्र द्वारा विभाग में कार्यरत कार्मिकों को अन्य विद्यालय/कार्यालय में शिक्षा/कार्य व्यवस्थार्थ लगाये जाने हंतु शाला दर्पण पोर्टल पर मॉड्यूल में प्रविष्टि के संबंध में दिशा–निर्देश प्रसारित किये गये थे। उक्त दिशा–निर्देशों के क्रम में निम्नानुसार निर्देश प्रदान किये जाते हैंः–

1– दिशा–निर्देशों के अनुसार मॉड्यूल आरंभ होने से पूर्व से ही शिक्षा/कार्य व्यवस्थार्थ लगे हुए एवं भावी शिक्षा/कार्य व्यवस्थार्थ लगाए जाने वाले कार्मिकों की प्रविष्टि की जानी है। इस संबंध में यह देखने में आया है कि शिक्षा/कार्य व्यवस्थार्थ लगाए गए कार्मिकों की जारी किये गये आदेशों की शाला दर्पण पोर्टल पर संबंधित मॉड्यूल में प्रविष्टि शिक्षा/कार्य व्यवस्थार्थ लगाए जाने हेतु आदेश प्रसारित करने वाले कार्यालय से भिन्न अन्य कार्यालय स्तर से की जा रही है, जबकि माड्यूल में प्रविष्टि उसी कार्यालय स्तर से की जानी है, जिस कार्यालय स्तर से उक्त आदेश जारी किये गए है। किसी भी कार्यालय द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में जारी किये गये शिक्षण/कार्य व्यवस्थार्थ आदेश की प्रविष्टि उस स्तर से की जाकर आदेश जेनरेट करने संबंधी कार्यवाही की जावेगी, अन्य उच्च स्तर से आदेश जारी होने की स्थिति में मॉड्यूल में प्रविष्टि उसी स्तर अथवा अन्य विभाग के कार्यालय द्वारा जारी होने की स्थिति में संबंधित समकक्ष स्तरीय विभाग के कार्यालय द्वारा मॉड्यूल में प्रविष्टि कर आदेश जेनरेट किये जाने हैं, ऐसे में आदेश जेनरेट होने के उपरांत संबंधित कार्यालय जिसमें कार्मिक मूल रूप से कार्यरत है, के द्वारा उक्त कार्मिक की पोर्टल के माध्यम से ही ऑनलाईन कार्यमुक्ति/ कार्यग्रहण सुनिश्चित किये जाने संबंधी कार्यवाही ही अपेक्षित है।

2– यदि आदेश विभाग के इतर किसी अन्य विभाग के कार्यालय से जारी किये गये हैं तो मॉड्यूल में प्रविष्टि उस अन्य विभाग के कार्यालय स्तर के समकक्ष स्तर के शिक्षा विभाग के कार्यालय द्वारा की जानी है यथा संभाग स्तर के अन्य विभाग के कार्यालय की स्थिति में संबंधित संयुक्त निदेशक कार्यालय द्वारा, अन्य विभाग के जिला स्तरीय कार्यालय की स्थिति में जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय, मा.शि./प्रा.शि.(जिसके अधीन शिक्षा/कार्य व्यवस्थार्थ लगाया गया

www.rajsevak.com

कार्मिक कार्यरत है) द्वारा एवं अन्य विभाग के उपखण्ड/ब्लॉक/तहसील स्तरीय कार्यालय की स्थिति में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय स्तर से प्रविष्टि की जावेगी।

3– यह भी देखने में आया है कि कतिपय कार्यालयों द्वारा मॉड्यूल में शिक्षण/कार्य व्यवस्थार्थ प्रविष्टि करने के दौरान शिक्षा/कार्य व्यवस्थार्थ लगाए जाने वाले कार्मिक के औचित्य/कारण से संबंधित रिमार्क का कॉलम रिक्त छोड़ा जा रहा है अथवा अपूर्ण प्रविष्टि की जा रही है। इस संबंध में लेख है कि संबंधित कॉलम में कार्मिक को शिक्षण/कार्य व्यवस्थार्थ लगाए जाने संबंधी रिमार्क का स्पष्ट अंकन किया जाना जावे, इसके स्पष्ट अंकन नहीं होने अथवा अपूर्ण होने की स्थिति में शिक्षण/कार्य व्यवस्थार्थ अनुमति संबंधी कार्य प्रभावित होता है ।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः– शिविरा/माध्य/शालादर्पण/60304/वो–2/2020/40 दिनांकः– 11/12/2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1– निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2– राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा एवं अतिरिक्त आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
3– निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा एवं पंचायती राज (प्रारंभिक शिक्षा) विभाग, राजस्थान, बीकानेर।
4– तकनीकी निदेशक, एनआईसी, जयपुर।
5– उपनिदेशक, शाला दर्पण प्रकोष्ठ, जयपुर।
6– सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7– स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।
8– रक्षित पत्रावली।

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर